18

संख्या 2485/XVIII(II)/2012–18(91)/12

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

विषयः–जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत चमतोला–पपोली मोटर मार्ग (लम्बाई 2.250 किमी0) के सडक निर्माण हेतु 1.2875 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम्य विकास विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–10910/ग्यारह–06/2011–12 दिनांक–07.09.2012 जो अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून को सम्बोधित है, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत चमतोला–पपोली मोटर मार्ग (लम्बाई 2.250 किमी0) के सडक निर्माण हेतु आपके उपरोक्त पत्र द्वारा संस्तुत/अनुमोदित खसरा संख्याओं के अन्तर्गत कुल 1.2875 है0 सिविल सोयम भूमि, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–2–2002 में निहित प्राविधानों एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में धारा–132 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले मे दिये गये निर्णय का भी संज्ञान लिया जाय।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0संख्या–2485/समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, देहरादून।
5– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।